55

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13 AUG 2018

6802 6808

उप-कोषागार, शिकोहाबाद

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 409200

अजय कुमार यादव

फोटो सत्यापित

सुरेन्द्र कुमार

द०ले०स० शिकोहाबाद

दिनांक 16-8-18

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 16-8-2018 ई0 को श्री अजय कुमार यादव (आधार नं0 2025 8600 0305, मोबा0 9918274225) पुत्र श्री अतर सिंह यादव निवासी- 758, ब्लॉक मार्ग, रफियाबाद कलान, जिला शाहजहांपुर व हाल निवासी- मुस्तफाबाद रोड, नगर व तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद द्वारा निष्पादित किया गया है।

1. ***ट्रस्ट का नाम***- कमला देवी सोसल वेलफेयर ट्रस्ट
2. ***ट्रस्ट का पता***- मुस्तफाबाद रोड, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद

   शाखा कार्यालय- ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती है।
3. ***ट्रस्ट में लगाया गया धन***- ट्रस्ट में लगाया गया धन 10,000/- दस हजार रुपये नगद धनराशि श्री अजय कुमार यादव पुत्र श्री अतर सिंह यादव द्वारा ट्रस्ट के लिए समर्पित की गयी है। वर्तमान समय में ट्रस्ट के पास कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है। ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। ट्रस्ट का निर्माण व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं है।

क्रमशः......2 पर

अजय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

6802 13 AUG 2018 6802

उप-कोषागार, शिकोहाबाद

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CY 409201

भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है। अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है। सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा।

4. <u>*ट्रस्ट के तत्व*</u>- मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है। ट्रस्ट एक प्रकार का अभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है। ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है। और प्रत्येक ट्रस्ट के लिए हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा। इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

<u>*उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे-*</u>

1. अजय कुमार यादव पुत्र श्री अतर सिंह यादव
   निवासी- 758, ब्लॉक मार्ग, रफियाबाद कलान,
   जिला शाहजहांपुर व हाल निवासी- मुस्तफाबाद रोड,
   नगर व तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद — मुख्य ट्रस्टीकर्ता
2. मनोज कुमार पुत्र श्री अतर सिंह यादव
   निवासी- 758, ब्लॉक मार्ग, रफियाबाद कलान,
   जिला शाहजहांपुर व हाल निवासी- मुस्तफाबाद रोड,
   नगर व तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद — ट्रस्टी

क्रमशः......3 पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

6802 13 AUG 2016 2089
उप-कोषागार, शिकोहाबाद

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CY 409202

3. अर्पित शिवेन्द यादव पुत्र श्री अतर सिंह यादव
निवासी– 758, ब्लॉक मार्ग, रफियाबाद कलान,
जिला शाहजहांपुर व हाल निवासी– मुस्तफाबाद रोड,
नगर व तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद — ट्रस्टी

4. श्रीमती गार्गी यादव पत्नी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
निवासी– 53, मुस्तफाबाद रोड, शिकोहाबाद — ट्रस्टी

5. अतर सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह
निवासी– 187, ब्लॉक मार्ग, रफियाबाद कलान,
जिला शाहजहांपुर व हाल निवासी– मुस्तफाबाद रोड,
नगर व तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद — ट्रस्टी

5. *ट्रस्ट के उद्देश्य-*

1. भारत के अस्पतालों, चिकित्सा विद्यालयों, चिकित्सा कालेजों, नर्सिंग संस्थानों, डिस्पेन्सरियों, प्रसूति गृहों, बाल कल्याण केन्द्रों और/या अन्य इसी प्रकार के धर्मार्थ संस्थानों को सामान्य जनता के लाभ और उपयोग के लिये धन का किन्हीं वस्तुओं के रूप में अनुदान/सहायता/बैंकों से ऋण प्राप्त करना, उसका विकास करना और उसका रखरखाव करना।

2. भारत के विद्यालयों, कालेजों, लाइब्रेरियों, पठन कक्षों, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसन्धान और उच्च तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा के संस्थानों के लिये विद्यार्थियों और

क्रमशः......4 पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

6802 13 AUG 2010 6802

उप-कोषागार, शिकोहाबाद

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CY 409203

स्टाफ और आम जनता के बीच शिक्षा के विकास और उन्नति के लिये और उसमें ज्ञान के प्रसार के लिये भी अनुदान/सहायता/अन्य वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण प्राप्त करना, उसे चलाना और उसे सहयोग देना।

3. विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप स्थापित करना, उन्हें बनाये रखना और चलाना तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना जिसमें पुस्तकें, वजीफे, मैडल और अध्ययन के लिये अन्य प्रोत्साहन शामिल है जो जाति, रंग, वंश, मत या लिंग के भेद से परे हो।

4. भारत में विज्ञान साहित्य, संगीत नाटक और ललित कला को प्रोत्साहन देने के लिये ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और इसी प्रकार के उद्देश्य रखने वाले अन्य संस्थानों के लिये आम जनता के लाभ के लिये बढ़ावा देना, स्थापित करना, समर्थन देना और उसका रखरखाव करना या अनुदान/सहायता देना।

5. आम जनता के प्रयोग के लिये पार्क, बाग, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स क्लब, धर्मशालायें और विश्राम गृहों की स्थापना करना और/या उसके रखरखाव के लिये अनुदान/सहायता/बैंकों से ऋण प्राप्त करना और उनका रखरखाव करना।

6. निर्धन, जरूरतमंद बेसहारा व्यक्तियों, अनाथ विधवा और बुजुर्गों को राहत देने और उसकी सहायता करने के लिये वृद्धाश्रम, अनाथालय, अन्य स्थापनायें करना या उन्हें अनुदान/सहायता/बैंकों से ऋण प्राप्त कर संचालित करना।

7. शारीरिक रूप से अक्षम और विकलांग या मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिये संस्थान स्थापित करना तथा गरीब निर्धन लड़कियों की शादी विवाह आदि करना एवं उनका विकास करना और उन्हें शिक्षा, खाद्य सामग्री, वस्त्र या अन्य कोई सहायता प्रदान करना।

क्रमशः......5 पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6802 13 AUG 2018 6802

उप-कोषागार, शिकोहाबाद

(5)

CY 409204

8. प्राकृतिक आपदाओं जैसे- अकाल, भूकम्प, बाढ़, आग, माहवारी आदि के दौरान जरूरतमंद पीड़ितों को राहत और सहायता प्रदान करना और इसी प्रकार के राहत कार्यों में जुटे हुये अन्य संस्थानों, स्थापनाओं या व्यक्तियों दान और/या अन्य सहायता प्रदान करना।
9. मरघटों, शमशान भूमियों और कब्रिस्तान का निर्माण, मरम्मत और उनकी स्थापना करना।
10. अन्य सार्वजनिक धर्मार्थ, न्यासों या संस्थानों को अनुदान सहायता देना या उनकी मदद करना।
11. वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई सम्पत्ति नहीं है तथा ट्रस्ट का वर्तमान कार्यालय भी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।

6. ***ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र***- सम्पूर्ण भारत वर्ष

7. ***ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य***-

1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एवं दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खातों (किन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों) में जमा की जायेगी जो जनहित तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। उक्त धनराशि के लेनदेन करने (बैंक खातों के संचालन के लिए) मुख्य ट्रस्टी (प्रबन्धक/सचिव) के हस्ताक्षर से ही बैंक से धन निकाला जायेगा। तथा ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय का अधिकार पूर्णतः मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव में निहित होगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्था की चल व अचल सम्पत्ति एवं उसका संचालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

क्रमशः......6 पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 273671

3\. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा खोली गयी कोई भी संस्था समाप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संस्था की चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी।

8\. ***ट्रस्टियों की नियुक्ति***- सभी ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे किसी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उनके द्वारा नामित अथवा उसका उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें। उत्तराधिकारी में ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र और पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री ट्रस्टी होंगे।

9\. ***संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य***- ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थाओं जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे की प्रबन्ध समितियों का गठन एक मुख्यट्रस्टी एवं अन्य 2 ट्रस्टी मिलकर करेंगे। यदि मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टियों द्वारा प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्य ट्रस्टी एवं ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।

10\. ***ट्रस्ट प्रमुख***- अजय कुमार यादव पुत्र श्री अतर सिंह यादव इस ट्रस्ट के प्रबन्धक/सचिव/मुख्यट्रस्टी/ ट्रस्टीकर्ता, होंगे इनकी मृत्योपरान्त इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा इनका उत्तराधिकारी ही पदाधिकारी/ प्रमुखट्रस्टी/मुख्यट्रस्टी होंगे। उत्तराधिकारी में प्रमुख ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र और पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री मुख्यट्रस्टी/ पदाधिकारी/प्रमुखट्रस्टी होगी।

11\. ***ट्रस्टियों की संख्या***- ट्रस्टियों की संख्या मुख्यट्रस्टी को मिलकर 3 होगी, जिसमें वर्तमान में मुख्यट्रस्टी सहित निम्न ट्रस्टी होंगे।

क्रमशः......7 पर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 273672

(7)

1. अजय कुमार यादव पुत्र श्री अतर सिंह यादव
निवासी– 758, ब्लॉक मार्ग, रफियाबाद कलान,
जिला शाहजहांपुर व हाल निवासी– मुस्तफाबाद रोड,
नगर व तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
(आधार नं0 2025 8600 0305, मोबा0 9918274225) — मुख्य ट्रस्टी/ ट्रस्टीकर्ता/ सचिव/प्रबन्धक

2. मनोज कुमार पुत्र श्री अतर सिंह यादव
निवासी– 758, ब्लॉक मार्ग, रफियाबाद कलान,
जिला शाहजहांपुर व हाल निवासी– मुस्तफाबाद रोड,
नगर व तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
(आधार नं0 4727 3617 7676, मोबा0 9452620700) — (अध्यक्ष)

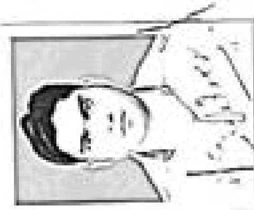

3. अर्पित शिवेन्द्र यादव पुत्र श्री अतर सिंह यादव
निवासी– 758, ब्लॉक मार्ग, रफियाबाद कलान,
जिला शाहजहांपुर व हाल निवासी– मुस्तफाबाद रोड,
नगर व तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
(आधार नं0 4326 3590 3306, मोबा0 7523820900) — (उपाध्यक्ष)

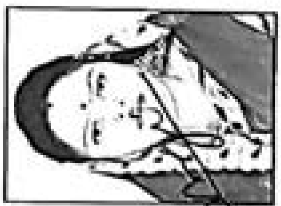

4. श्रीमती गार्गी यादव पत्नी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
निवासी– 53, मुस्तफाबाद रोड, शिकोहाबाद
(आधार नं0 4131 3114 0898, मोबा0 9719166960) — (सदस्य)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 273673

5. अतर सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह
   निवासी– 187, ब्लॉक मार्ग, रफियाबाद कलान,
   जिला शाहजहांपुर व हाल निवासी– मुस्तफाबाद रोड,
   नगर व तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद (सदस्य)
   (आधार नं0 5120 9882 4506, मोबा0 7505489809)

12. ***ट्रस्ट की बैठक***- ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन) पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलाई जा सकती है। बैठक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध की सहमति से अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक में से कोई भी बुला सकता है।

13. ***गणपूर्ति***- बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 भाग ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है।

14. ***ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य***-

1. अध्यक्ष–
   (1) ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेंगे।
   (2) मीटिंग बुलाने के लिए सचिव को निर्देश देना।

प्रबन्धक/सचिव–
   (1) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उनकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

क्रमशः......9 पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 273674

(2) ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उनका प्रचार-प्रसार करना।

(3) ट्रस्ट के हित में दान, चन्दा, प्राप्त करना तथा संस्था कोष में जमा करना, ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल करना।

(4) दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना व उसकी रसीद देना ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय-समय पर निरीक्षण करना।

(5) संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ट्रस्टी, बन्धक विलेखों, बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करना।

(6) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की अनुमति से एवं वादों की पैरवी करना।

15. ***लेखा परीक्षक***- ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा एवं मुख्यट्रस्टी द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करवायेगा। संस्था के आय-व्यय बही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्यट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना।

क्रमशः......10 पर

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 397098

16. ***संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन-***

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये मुख्यट्रस्टी गण चुनाव अधिकारी की नियुक्त करेंगे।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना (उच्च शिक्षा) के अनुरूप होगे।
3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्यट्रस्टी और ट्रस्टी मिलकर करेंगे तथा यदि प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।
4. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे।

(1)	अध्यक्ष	एक
(2)	उपाध्यक्ष	एक
(3)	प्रबन्धक/सचिव	एक
(4)	सदस्य	दो

क्रमशः......11 पर

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 397097

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक 16-8-2018 को साधारण जनता के हितों व लाभों के लिए किया गया है ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों का संचालन किया जाना, वृद्धों, निर्बलों, असहायों, विकलांगों, महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगी आदि रोज के निवारण हेतु तत्परता दिखाना व चिकित्सालयों की स्थापना करना व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णद्धारा करने, निर्धन, कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनों को दान एवं समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराना आदि उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा। ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्यट्रस्टियों द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

क्रमशः......12 पर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

41AD 150277

(12)

रजिस्टर्ड तारीख 16-8-2018 ई०। मसौदाकर्ता- जुगेश कुमार, दस्तावेज लेखक, तहसील शिकोहाबाद।

गवाह- देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री नौबत सिंह
निवासी- मुस्तफाबाद रोड, शिकोहाबाद
आधार नं0 4394 8453 8947, मो0 9719166960

गवाह- अरविन्द कुमार पुत्र श्री धीरपाल सिंह
निवासी- नगला वाले, दारापुर रसैनी, तहसील जसराना
आधार नं0 7384 7431 0924, मो0 9761294691

अरविन्द कुमार

रजिस्टर का क्रमांक 3.1 दिनांक 16-8-18
स्टाम्प का मूल्य 10 अनुज्ञप्ति नम्बर 20
क्रेता का नाम कमला देवी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट
स्टाम्प 12 कुल कीमत 750/-

कु० पूनम
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस- 5-6/2018-19 फिरोजाबाद
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 33 के पृष्ठ 299 से 322 तक क्रमांक 55 पर दिनाँक 16/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रवीन्द्र सिंह प्रभारी
उप निबंधक : शिकोहाबाद
फ़िरोजाबाद
16/08/2018